राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर ।

:: आ दे श ::

नगपालिका मण्डल, शाहपुरा बनाम् अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर वगैरा

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या-3451/1999अन्तर्गत
अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान.

<u>आदेश दिनांक</u>- **नवम्बर 21, 2006**

उ प स्थि त

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री राकेश शर्मा, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।

डॉ. प्रकाश चन्द जैन, अधिवक्ता वास्ते प्रतिपक्ष।

न्यायालय द्वारा-

(1)प्रार्थी नगरपालिका, शाहपुरा ने इस रिट याचिका में अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के आदेश दिनांक- 15.9.1998 (प्रदर्श-3) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा प्रतिपक्षीगण सं.2 व 3 की निगरानी याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की गई है एवं अतिरिक्त जिलाधीश (पंचम) जयपुर जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक- 21.2.1997 (प्रदर्श-2) को निरस्त करते हुए प्रकरण को इस निर्देश के साथ नगरपालिका मण्डल, शाहपुरा को प्रतिप्रेषित किया गया है कि वह तत्कालीन समय की व्यवसायिक दरों से कीमत प्राप्त करे एवं नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर पट्टा जारी करे।

(2)विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी श्री राकेश शर्मा ने तर्क दिया है कि प्रतिपक्षी सं.2 व 3 के विरूद्व अतिरिक्त जिलाधीश (पंचम) जयपुर जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक- 21.2.1997 (प्रदर्श-1) अभी स्थायित्व में है, ऐसी स्थिति में अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर का आक्षेपित आदेश का कोई प्रभाव नहीं है। मैं,

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के उक्त तर्क से सहमत नहीं हूं। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का यह भी तर्क है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम,1959 की धारा-80 के अन्तर्गत नगरपालिका मण्डल को ही पट्टा जारी करने का अधिकार है, चैयरमेंन को नहीं, ऐसी स्थिति में अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा आक्षेपित आदेश में दिए गये निर्देश अवैध हैं। मैं, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के इस तर्क में भी कोई बल नहीं पाता हूं, अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त ने आक्षेपित आदेश में नियमानुसार पट्टा जारी करने के निर्देश दिए हैं तथा जो पट्टा जारी किया जाना है वह धारा-80 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के अनुसार ही जारी किया जाना है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों से असहमति के निम्न कारण हैं:-

(अ) अतिरिक्त जिलाधीश (पंचम) जयपुर जिला जयपुर ने दिनांक- 21.2.1997 को दो आदेश पारित किए थे, जो कि पत्रावली पर प्रदर्श-1 व 2 के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें से प्रदर्श-2 अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा आक्षेपित आदेश से अपास्त कर दिया गया है और प्रतिपक्षी सं.2 व 3 को तत्कालीन समय की व्यवसायिक दरों के आधार पर पट्टा जारी करने के निर्देश दे दिए गये हैं।

(ब) अतिरिक्त जिलाधीश (पंचम) जयपुर जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक- 21.2.1997 (प्रदर्श-1) अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और परोक्ष रूप से वह अपास्त हो चुका है।

(स) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय का पर्यवेक्षकीय क्षेत्राधिकार अत्यन्त सीमित है। इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण ने **सधाना लोध बनाम् नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि.** (2003 (3)S.C.C.page524) न्यायिक दृष्टान्त में निम्न निर्देश दिए हैं:-

> "The supervisory jurisdiction conferred on the High Courts under Article 227 of the Constitution is confined only to see whether an inferior court or tribunal has proceeded within its parameters and not to correct an error apparent on the face of the record, much less of an error of law.In exercising the supervisory power under Article 227 of the Constitution , the High Court does not act as an appellate court or the tribunal. It is also not permissible to a High Court on a petition filed under

> Article 227 of the Constitution to review or reweigh the evidence upon which the inferior court or tribunal purports to have passed the order or to correct errors of law in the decision."

(3) उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं इस रिट याचिका में कोई बल नहीं पाता हूं। अत: निरस्त की जाती है। याचिका का व्यय पक्षकार स्वयं अपना अपना वहन करेगें।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)

एमसीएस